

आदेश - फलक

(देखें अभिलेखहरतक, 1941 का नियम, 129)

आदेश पत्रक -- ता०..... से..... तक
 जिला पटना..... सं०..... सन्.....
 केस का प्रकार..... दाखिल खारीज कार्ड नं० 38/13-14.....

आदेश का क्रम सं० और तारीख.....
 आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर.....
 आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित.....

1 2

14/6/13 RT PS No 00050 को आवेदक श्री दा. प्रसाद दा.
 आज दिनांक 13/6/13 को आवेदन पत्र सं०.....
 पिता मंगल दा. सं०..... जिला आनंदपुर
 पाना नं० 31 अंचल आनंदपुर जिला पटना
 के द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया है। यह आवेदन पत्र मिथिला पत्र/बदलेन/दान
 पत्र/उत्तराधिकारी/वैतनिक के दाखिल खारीज से सम्बन्धित है। आवेदित केमाला संख्या 3219
 दिनांक 19.6.07 है। आवेदित भूमि की विवरणी निम्न प्रकार है।
 गौजा/शाना नं० आनंदपुर - बंगला रकबा लगान
 धनक सं० दा. - 174 - 397 4.977 4040
174 - 398 510 4040
174 - 397
174 - 398

पतिवर्ति भूमि के सम्बन्ध में आवेदन
का दाखिल खारीज सं० नं० के माध्यम से
प्राप्त किया जा रहा है।

दा. प्रसाद दा. दिनांक 17/6/13 को आवेदन
पत्र के आलोक में राजस्व कर्मचारी एवं अंगल निरीक्षक का निरीक्षण प्राप्त हुआ है।
 दाखिल खारीज को सुरक्षित अनुसंधान किया गया है। निरीक्षण में उपस्थित सभी लोगों को
 प्रस्तावित दाखिल खारीज के सम्बन्ध में जानकारी दी गई तथा अपाति की माँग की गई।
 किसी भी स्तर से कोई अपाति नहीं दर्ज की गई।
 अतः राजस्व कर्मचारी एवं अंगल निरीक्षक को सुरक्षित अनुसंधान तथा प्राप्त अपाति के
 आलोक में दाखिल - खारीज..... की जाती है। यह पत्र नुसख मुद्रित
 पत्र निर्गत करे। इस आदेश का भूमि के दाखिल पा कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अधिकारी

17/6/13 ~~बस्का मजदूरी~~ का जौअर - निवेदन परत हुआ।

- समाप्ति पत्रों को मारिवा - नारा

दिनांक 22/6/13 तक।

अभिलेख दिनांक 24/6/13 को

उपस्थापित करे।

~~अभिलेख~~
अभिलेख अधिकारी,
कोलकाता।

22/6/13 अभिलेख उपस्थापित है। मिस्री को मारि

नारा नही है। बस्का मजदूरी का

जौअर परिपेदन में समाप्त पर नारा नारा

मजदूरी के मध्य मजदूर दिवस हुआ। चाकिल

अभिलेख की लीक्युरी ही मारा है।

अभिलेख अधिकारी कोलकाता

~~अभिलेख अधिकारी~~
कोलकाता

26/6/13
~~अभिलेख अधिकारी~~
कोलकाता